न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 109/2023 GCMS No.–2019/00144

नेहनूराम पुत्र श्री सोहनलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम लालपुरा, जिला अलवर। हाल निवासी ग्राम केला का बास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।
..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 विरूद्व आदेश दिनांक 07.06.2019 न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ प्रकरण संख्या 47/2019 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम नेहनूराम में प्रार्थी अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमी/गैर सायल को मौके से बेदखल करने तथा मौके पर पत्थरों व बजरी को कब्जेराज लेकर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करने एवं वार्षिक लगान 0.15 रूपये का 50 गुणा रूपये 8/–(अक्षरे आठ रूपये) की शास्ति से दंडित किए जाने के आदेश फरमायें गये है, के विरूद्ध।

उपस्थितः–
1. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 29.05.2024

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 07.06.2019 से अपीलांट द्वारा ग्राम केला का बास, तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 12.71 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.10 हैक्टेयर भूमि पर टीनशैड छप्पर, बजरी व पत्थर डालकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने के कारण, अपीलांट को अतिचारी मानकर उक्त आराजी किस्म चारागाह भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 0.15 रूपये का 50 गुना 8 रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर अतिक्रमी अपीलांट को मौके से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांट ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। ग्राम केला का बास स्थित तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 230 रकबा 12.71 है0 किस्म चारागाह में अपीलांट ने कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने की पटवारी ने रिपोर्ट की जिसके अनुसार नायब तहसीलदार जमवारामगढ ने धारा 91 के तहत गैर सायल को वास्ते जवाब सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया गया एवं निवेदन किया गया कि अपीलांट एक भूमिहीन व्यक्ति है तथा खसरा नंबर 230 में मात्र 8 ऐयर भूमि में मकानात निर्मित है जो अपीलांट के रहवास हेतु निर्मित है, जिस पर अपीलांट काफी समय से काबिज चला आ रहा है। भूमिहीन व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार सरकारी भूमि में रहवास हेतु खाम खामीरात व पशुओ के बाडों को नियमितीकरण करने के आदेश प्रसारित है। जिसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित कर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कमांक 47/19 उनवानी सरकार बनाम नेहनूराम में दिनांक 07.06.2019 को पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। अपीलांट के विरूद्व धारा 91 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट को राजकीय भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 07.06.2019 को पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्राावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का ग्राम केला का बास, तहसील जमवारामगढ स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 12.71 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.10 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज

कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए जिसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 07.06.2019 को जवाब पेश किया गया। अधीनस्था न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2019 को पारित कर मौके पर अतिक्रमी अपीलांट को बेदखली के आदेश पारित किये गये। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राजस्थान भू राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही की है जो नियमानुसार उचित है। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/5/24

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर